न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बालापुरा तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 86/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 ओमप्रकाश पिता हजारी खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 जगदीश पिता हजारी खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 रामलाल पिता हजारी खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 हरजी पिता हजारी खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 नन्दा पिता भूरा खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6 भागूता पिता भूरा खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
7 भागुती पुत्री भूरा खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
8 रूकमा पुत्री भूरा खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
9 लाली पुत्री भूरा खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
10 हीरी पुत्री भूरा खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
11 रणजीत पिता माधू खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
12 रामप्रसाद पिता माधू खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
13 सत्यनारायण पिता माधू खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
14 लादी पत्नि माधू खारोल उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
15 आशा पुत्री मोहन खारोल उम्र–वयस्क निवासी मोतीपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
16 काली पुत्री मोहन खारोल उम्र–वयस्क निवासी मोतीपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
17 सोदरा पत्नि मोहन खारोल उम्र–वयस्क निवासी मोतीपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
18 सत्यनारायण पिता मोहन खारोल उम्र–वयस्क निवासी मोतीपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
19 सांवरा पिता मोहन खारोल उम्र–वयस्क निवासी मोतीपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
20 गोकल पिता प्रताप खारोल उम्र–वयस्क निवासी मोतीपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
21 जगरूप पिता प्रताप खारोल उम्र–वयस्क निवासी मोतीपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
22 भूरा पिता छगना खारोल उम्र–वयस्क निवासी मोतीपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
23 महावीर पिता छगना खारोल उम्र–वयस्क निवासी मोतीपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

Signature Not Verified

बनाम

1 तहसीलदार (भूमिधार) फुलियाकलां जिला भीलवाडा ..... अप्रार्थीगण

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री राजेश वर्मा –––प्रार्थीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 20.10.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 03.08.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम मोतीपुरा पटवार मण्डल बालापुरा तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 114 के आराजी संख्या 588, 589 कुल रकबा 1.06 हैक्ट. प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण शुरूआत से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थी द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी की बिलानाम आराजी संख्या 595 की मेड के सहारे–सहारे 15 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थी के हक स्वामित्व की बिलानाम आराजी संख्या 595 में से भूमि की मेड के सहारे–सहारे 15 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 03.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। विपक्षी द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षी एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। प्रार्थीगण ने बहस एकपक्षीय में अपने अभिवचनों को दोहराते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार फुलियाकलां से रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर ली गई।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें अप्रार्थी की ग्राम मोतीपुरा स्थित बिलानाम आराजी संख्या 595 में से 0.049 हैक्टे. (496 वर्गमीटर) भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अप्रार्थी को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को केवल आराजी संख्या 595 में से 0.049 हैक्टे. (496 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थी को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजीयात रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थीगण को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नही किया है, [illegible] विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थी को कोई भारी क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:14 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा 15 फिट का रास्ता चाहा गया है, एवं उसी अनुरूप अप्रार्थी को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा ग्राम मोतीपुरा स्थित बिलानाम आराजी संख्या 595 में से 0.049 हैक्टे. (496 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम मोतीपुरा पटवारी हल्का बालापुरा स्थित बिलानाम आराजी संख्या 595 में से 0.049 हैक्टे. (496 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी (आराजी संख्या 595 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.049 हैक्टेयर मालियत राशि की तिगुनी राशि (0.049 हैक्टयर की) राज्य कोष को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बालापुरा के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:14 IST
Reason: SelfAttested